



अधिष्ठाता कार्यालय,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .495001
FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.com email- deancims@gmail.com

क्र. 2403/ स्था./ प्रशा./ सिम्स/ 20

बिलासपुर, दिनांक 09/10/2020

// आदेश //

छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छ0ग0 के आदेश क्र. एफ 12-02/2020/नौ/55-4 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार, प्रतिका सूची में से निम्नलिखित उम्मीदवार को चिकित्सा महाविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख दर्शित विभाग में 06 माह की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं.	नाम	पदनाम	विभाग	चयनित संवर्ग	समेकित वेतन
01	बालकृष्ण तिवारी	लैबटेक्नीशियन	वायरोलॉजी लैब(माइको विभाग)	अनारक्षित	20900/-
02	जितेन्द्र कुमार चन्द्रा	लैबटेक्नीशियन	वायरोलॉजी लैब(माइको विभाग)	अनारक्षित	20900/-
03	सुबोध कुमार कांत	लैबटेक्नीशियन	वायरोलॉजी लैब(माइको विभाग)	अनुसूचित जाति	20900/-

—: संविदा नियुक्ति की शर्त :-

- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-9-1/2012/1-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
- उक्त संविदा नियुक्ति उस पद में कार्यभार ग्रहण तिथि से अधिकतम 06 माह अथवा आगामी आदेश तक के लिए रहेगी। किसी भी समय संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।
- उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, सिम्स चिकित्सालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी संस्थान में कार्यरत है उनके द्वारा उक्त संस्थान द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही संस्थान में उपस्थिति स्वीकार की जावेगी।
- आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने उपरांत किसी भी अभ्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत अभिलेखों में शिकायत सही पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।


नोट-1) छ0ग0 शासन राजपत्र असाधारण प्राधिकरण में दिनांक 04 सितम्बर 2019 को प्रकाशित आरक्षण नियम में 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर उपलब्ध न होने की स्थिति में पूर्व में प्रचलित 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर अनुसार उपरोक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से संविदा नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

2) उक्त साक्षात्कार से चयनित/संविदा नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों की सेवा नवीन रोस्टर लागू होने की स्थिति में जारी 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के अनुरूप संवर्ग में पद रिक्त/अनुरूप होने पर समायोजित किया जावेगा अन्यथा सेवा स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

12404-15
पृ.क्र./ /स्था./सिम्स/2020
प्रतिलिपि:-

||
अधिष्ठाता,
छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर, छ0ग0
बिलासपुर, दिनांक 09/10/2020

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स, चिकित्सालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, सिम्स महाविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. बालकृष्ण तिवारी, पिता-स्व श्री रवि शंकर तिवारी, पता - ग्राम-देवरी, पोस्ट- सारागांव, तह-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा, मो.न.-9770763916/6264396115 की ओर सूचनार्थ।
9. जितेन्द्र कुमार चन्द्रा, पिता- श्री राम कुमार चन्द्रा, पता- मु व पो- सुखदा, तह-डभरा, जिला-जांजगीर चांपा, छ.ग., पिन-495688, मो.न.-9691153880 की ओर सूचनार्थ।
10. सुबोध कुमार कांत, पिता- श्री छटराम कांत, पता-ग्राम-जोरैला भिलौनी, पोस्ट-कोसीर, तह-पामगढ़, जांजगीर चांपा, छ.ग. पिन-495554, मो.न.-8839364392 की ओर सूचनार्थ।
11. कार्यालयीन लेखा शाखा, सिम्स, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
12. कार्यालयीन नस्ती।


अधिष्ठाता,
छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर, छ0ग0